

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
47/2025

दायर दिनांक
13.01.2025

निर्णय दिनांक
०९-०३-२०२५

1. अजमल पुत्र गोपी जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा
2. उदयलाल पुत्र धीसा जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा
3. ऐजन पत्नी स्व. रामचन्द्र जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा
4. कमली पुत्री कोड जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदुकोटा
5. कोयली पत्नी स्व. श्री धीसा जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा
6. दुर्गा पुत्री कजोड जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदुकोटा
7. धापू पत्नी स्व. कजोड जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदुकोटा
8. प्रहलाद पुत्र छोगा जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा
9. बदाम देवी पत्नी केसरीमल जाति खटीक, उम्र वयस्क निवासी निवासी कोदूकोटा
10. भेरू पुत्र जगन्ना जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा
11. भूरा पुत्र कालू जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा
12. मदन पुत्र गोपी जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा
13. मंजु पुत्री कजोड जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा
14. रामनारायण पुत्र छोगा जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा
15. लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति धोबी, वयोवृद्ध निवासी कोदूकोटा
16. लाली पुत्री रामचन्द्र जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा
17. हरिशंकर पुत्र रामचन्द्र जाति धोबी, उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा-राज
18. कमला पत्नी राजेश जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा

— प्राथीगण

बनाम

1. अनिल अशोक, प्रेम देवी, मैना देवी पिता प्रभु जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
2. चन्द्री देवी पत्नी स्व. प्रभु जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
3. आयुष, युवराज, पुत्र भैरू लाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी कोदुकोट तहसील व जिला भीलवाडा (राज.) काली)
4. आशा देवी पत्नी स्व. भैरू लाल उम्र वयस्क निवासी कोदुकोट तहसील व जिला भीलवाडा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

5. मोहन गणपत, ज्ञान रामेश्वर हजारी पिता देबी उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील के जिला भीलवाल
6. गोपी, धन्ना, नारायण पिता रूपा उम्र वयस्क निवासी कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. घीसु मदन सुरजमल सोहनी पिता प्यारी उम्र वयस्क निवासी कोयुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. ज्ञानचन्द्र पिता बंशी उम्र वयस्क निवासी कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. डालू भूरा पुत्र गणेश उम्र वयस्क निवासी कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. सिताराम मूलचंद, रामप्रसाद रामेश्वरी, शांति, बादाम पिता कन्नीराम उम्र वयस्क निवासी कोदुकोटा तहसील व जिला महोत्सव
11. सरजू पत्नी स्व कन्नीराम उम्र वयस्क निवासी कोडूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
12. बदाम देवी पत्नी स्व. प्रताप उम्र वयस्क निवासी कोचूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
13. भगवती देवी, लादी देवी, हीरा लाल पुत्र स्व. प्रताप उम्र वयस्क निवासी कोयूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
14. लाडू सुरेश पुत्र चन्द्रा उम्र वयस्क निवासी कोवूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
15. शांति पत्नी चन्दा उम्र वयस्क निवासी कोचूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
16. लादू, बाबू लाल पिता देवा उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
17. भूरी पत्नी स्व. देवा उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
18. भंवर कंबाई पत्नी हिम्मत सिंह पुरावत प्रताप उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
19. मोहन कंवर पत्नी विजय सिंह पुरावत उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
20. उदयलाल पुत्र शंकर लाल कीर उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
21. कालु लाल पुत्र रामचन्द्र नाई उम्र वयस्क निवासी कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा ।
22. गणी, मंजू, लागू पुत्र भैरूलाल नाई उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
23. श्रयणी पत्नी भैरूलाल नाई उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

24. गोपाल लाल पिता कंवर लाल उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
25. भगवान लाल पुत्र बरदीचंद नाई उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
26. भंवर बाई पत्नी हिम्मत सिंह पुरावत उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
27. मोहन कंवर पत्नी विजय सिंह पुरावत उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
28. लक्ष्मी देवी पत्नी रामेश्वर लाल कीर उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
29. सोहन लाल पुत्र गंगाराम उम्र वयस्क निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी श्री मुकेश धोबी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 29/उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोदुकोटा पटवार हल्का कोदुकोटा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला-भीलवाड़ा की सरहद में हम प्रार्थीगण की कृषि आराजिया स्थित है जिसका विवरण सम्वत् 2073 से 2076 तक में दर्ज खाता संख्या नया 568 में वर्णित आराजी संख्या 3163, रकबा 0.5943 हेक्टर, है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी गैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोदुकोटा पटवार हल्का कोदुकोटा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला-भीलवाडा की सरहद मे हम प्रार्थीगण की कृषि आराजिया स्थित है जिसका विवरण सम्वत् 2073 से 2076 तक में दर्ज खाता संख्या नया 568 में वर्णित आराजी संख्या 3163, रकबा 0.5943 हेक्टर, है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06/08/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज उपाध्याय)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा